833/

संख्या-16 /2025/ सत्रह-2025-17-1002(099)/13/2019

प्रेषक

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 31 मई, 2025

विषय- प्रतिस्थापन के आधार पर विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु वाहनों के क्रय के सम्बंध में ।

महोदय

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या.289/ सामा0शा0/वाहन क्रय प्रस्ताव/ 2025.26 दिनांक 29.04.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु कुल 05 वाहनों के जेम पोर्टल के माध्यम से वाहन मूल्य तथा अनुमानित भाड़ा सहित आय.व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025.26 में अनुदान संख्या.17 लेखाशीर्षक 4405.मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय.001.निदेशन तथा प्रशासन-03-मत्स्य निदेशालय-14-मोटर गाडियों का कय में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष 05 वाहनों के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है- .

(1) क्रय किये जाने वाले वाहनों का क्रय सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0.2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा ध्व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) महानिदेशक मत्स्य द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहन की नितान्त आवश्यकताध् अपरिहार्यता होने पर ही वाहन क्रय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रश्नगत क्रय वाहन की गुणवत्ता विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व महानिदेशक मत्सय का होगा।

(5) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकारध् केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्षध् नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक होए उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगाए जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय.व्ययक) अनुभाग.1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या.6/2025/बी-1-352/दस.2025-231/2025, दिनांक.27.03.2025 में दिये गये दिशा.निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या.17 लेखाशीर्षक 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय.001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मत्स्य निदेशालय-14.मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या E-1-47-X-2025-26-दिनांक:30-5-2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है ।

भवदीय

Digitally signed by "RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 31-05-2025 16:51:09

(के0 रविन्द्र नायक)

प्रमुख सचिव।

संख्या-16 /2025 / 033 / सत्रह-म-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ नियो0-3।

आज्ञा से,

(के0 रविन्द्र नायक)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।